

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-108


दिनांक: 27-3-2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की बैठक...9.00...दिनांक...23-3-2002 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं० 9.00 दिनांक 23-3-2002 प्रातः 11:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।


भवदीय



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउटप्लान)

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
2. श्री अशोक तंवर, विधायक
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
7. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)/(प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन....., जविप्रा, जयपुर।



सदस्य सचिव,

बीपीसी(ले-आउट प्लान)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..9वीं.....बैठक दिनांक.23-3-2002.
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : हथरोई गढ़ी गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : लक्ष्मी विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : बस्ती
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...डी...3....) कमेटी की बैठक दिनांक.....16-3-2002.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित बरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. 100 फिट चौड़ी सड़क पर प्रस्तावित 'दुकानों' को अनुमोदित नहीं किया जावे ।
2. एच.टी. लाईन से प्रभावित भूखण्डों को नियमित नहीं किया जावे ।
3. निर्मित क्षेत्रफल 10% से कम होने के कारण योजना राज्य सरकार को निष्पत्तीय हेतु भिजवाई जावे ।

32

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...9वीं.....बैठक दिनांक..23-3-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : हसन पुरा गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : आनन्द विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : इन्दर गढ़ 327/1, 393/1, 322/1/1, 327/1
4. सैक्टर नंबर : 322/1/2

जोनल लेबल(जोन संख्या.डी.-3....) कमेटी की बैठक दिनांक..18-3-2002.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित बरिष्ठ नगर वियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को ~~स्वीकृत~~/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

प्रस्तावित योजना नाले एवं छड्डे में स्थित है एवं इस योजना के आसपास कोई आबादी नहीं है । अतः योजना को निरस्थ किया जावे ।

32

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...9वीं...बैठक दिनांक 23-3-2002.
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : लक्ष्मी गृ.नि.सोसो
2. योजना का नाम : परमानन्द नगर (स्कीम नं० 18)
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...की...8...) कमेटी की बैठक दिनांक...4...3...2002...में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

पूर्व में बीपीसी के निर्णय दिनांक 15-3-2002 में 100 फिट सैक्टर रोड को जोनल स्तरीय बैठक की अनुशंसा के आधार पर यथावत रखते हुए अनुमोदन किया गया था। जोन द्वारा पुनः समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत कर दिनांक 8-6-94 की बीपीसी के द्वारा अनुमोदित की गई सामने की योजना श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति की रामपुरी योजना को 100 फिट चौड़ी सैक्टर रोड के स्थान पर 40 फिट सैक्टर रोड रखने का नीतिगत निर्णय लिया गया था। जोन द्वारा इस योजना में भी पूर्व निर्णय के अनुसार 40 फिट चौड़ी सैक्टर रोड ^{शर्तों के} प्रस्ताव के सम्बन्ध में, निर्णय लिया गया है कि 100 फिट चौड़ी सैक्टर रोड का मौके का सर्वे, प्लॉट की कम्पाउण्ड वाल, एवं निर्मित स्थिति का जोन स्तर पर करवाया जाये जिससे इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिया जा सके।

७२

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...9वीं...बैठक दिनांक..23-3-2002
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : भैरव गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : शिवपुरी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर : 15

जोनल लेबल(जोन संख्या...बी-7...) कमेटी की बैठक दिनांक.....18-3-2002.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित बरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

योजना का अनुमोदन जोन स्तरीय बीपीसी की बैठक दिनांक 18-3-2002 में किया गया था जिसमें भूखण्ड संख्या 72 से 83 के ब्लॉक में से 10 फिट चौड़ी भू-पट्टी की कटौती की गयी थी तथा सामने के भूखण्ड संख्या 60 से 71 तक में रोड एलायमेंट के आधार पर कोई कटौती नहीं की गयी थी, वूकि 40 फिट की सैक्टर रोड समीपवर्ती योजना श्री राम नगर के भूखण्ड संख्या 183 व 184 के निर्मित होने के कारण बन्द है । अतः निर्णय लिया गया कि भूखण्डधारियों के ज्ञापन को मध्येनजर रखते हुए 40 फिट सैक्टर रोड को 30 फिट चौड़ी रोड ही रखा जाकर नियमन की कार्यवाही को जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 23.3.02 का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : दी कृष्णा हा.को.सो.
2. योजना का नाम : टी-1
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : उ.न. 147 व 148 ग्राम झालाना चौड़
4. सैक्टर नंबर : हाल उ.न. 93 ग्राम दुर्गापुरा

जोनल लेबल(जोन संख्या...B...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

सहकारी समिति ने न्यायालय में वाद दायर किया हुआ है इसलिए निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 23.3.02..... का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : शिवा गृ०नि०स०स०
2. योजना का नाम : भू देव कालोनी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : उ० न० । को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के
4. सैक्टर नंबर : सम्बन्ध में ।

जोनल लेबल(जोन संख्या...Dr.A.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया उपायुक्त जोन ने समिति के सदस्यों को बताया कि भूखण्ड स्वामि के पास जलदाय विभाग का मई 2001 का बिल है तथा पूर्व में जमा करवाये गये भू-रूपान्तरण की रसीद है। समिति के विचार-विमर्श कर भू.स. । को सुविधा क्षेत्र में मुक्त करने का निर्णय लिया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक.23.3.02....का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : हथरौई गढी गृ०नि०स०स०
2. योजना का नाम : पटेल नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या....B-2...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

समिति के सदस्यों ने मौका निरीक्षण करना चाहा अतः समिति के सदस्यों द्वारा मौका निरीक्षण करने के पश्चात् योजना को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक... 23.3.02...का

कार्यवाही विवरण।

विषय:- श्री सुशील कुमार आलवालिया के भू.स.46 माथुर वैश्य नगर विस्तार
४४ तोपखाना देश गृ0नि0स0स0 की सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सम्बन्ध
में ।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या....B-4....) कमेटी की बैठक
दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को
स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के
समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत
एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना
अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के
परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया
गया:-

उपायुक्त जोन ४बी-4४ द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया ।

समिति के सदस्यों ने विचार-विमर्श पश्चात् उपरोक्त योजना का भू.स. 46
क्योंकि एक अकेला भूउण्ड अलग से है, अतः उसको सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने
का निर्णय लिया गया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 23.3.02.....का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : लक्ष्मी गृहनिर्माण
2. योजना का नाम : श्याम कालोनी सूरज घाटी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : भू.स. 25 से 30 तथा भू.स. 31 से 36 की
4. सैक्टर नंबर : सड़क की चौड़ाई 20-0" किया जाने

जोनल लेबल(जोन संख्या... B-4...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपरोक्त भू स्वामियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया। समिति के सदस्यों ने पाया कि उपरोक्त भूखण्डों के मध्य की सड़क की चौड़ाई 20-0" ही पर्याप्त है इसलिए भू.स. 25 से 30 तथा भू.स. 31 से 36 के मध्य की सड़क की चौड़ाई 30' से 20' किए जाने का निर्णय लिया गया।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 23.3.02.....का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : बस्सी सीतारामपुरा गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : गणेश विहार "बी"
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या....B-5....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

योजना अमानीशाह नाले के पास है चूंकि इस नाले का सर्वे हो चुका है तथा इस नाले की चौड़ाई के सम्बन्ध में इजिनियरिंग शाखा द्वारा निर्धारित किया जाना है इसलिए नाले की चौड़ाई निर्धारित होने तक स्थगित रखा जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक..23.0.02...का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : पथिक भवन गृ0नि0स0स0लि0 की स्कीम नम्बर 10 "बी"
2. योजना का नाम : लो लाइंग एरिया से प्रभावित भूखण्डों को
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : मुक्त करने के सम्बन्ध में ।
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...बी-5...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया उपायुक्त जोन ने समिति के सदस्यों को बताया कि इस योजना में पक्का नाला बना दिया गया है जिससे सारा पानी नाले में जाता है इसलिए अब यह भूखण्ड लो लाइंग एरिया में नहीं है । समिति के सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श करने के पश्चात् निर्णय लिया कि सदस्यों द्वारा मौके का स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 23.3.02 का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : नवजीवन गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : निर्माण नगर "सी" में पूर्व में अनुमोदीत
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : 18 दुकानों का अनुमोदन निरस्त करने
4. सैक्टर नंबर : बाबत् ।

जोनल लेबल(जोन संख्या....B-5...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक ॥ प्रोजेक्ट ॥ ने समिति के समक्ष जोन द्वारा भिजवाया गया एजेण्डा प्रस्तुत किया गया/विचार-विमर्श पश्चात् एजेण्डा के साथ संलग्न पार्टी योजना मानचित्र में दर्शित 18 दुकानों को अस्वीकृत कर इस क्षेत्र को पार्क हेतु दर्शाया जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 23.3.02 का
कार्यवाही विवरण।

- | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | : निजी खातेदार श्री भौरी लाल, रामू लाल दुर्गलाल, गणेश नारायण, बद्रीनारायण, केशर बैरवा, हरदेव |
| 2. योजना का नाम | : पंचवटी |
| 3. ग्राम का नाम व खसरा नं० | : उ० न० 27, 28, 29, 30, 31 ग्राम टीलावाला |
| 4. सैक्टर नंबर | : |

जोनल लेबल(जोन संख्या...सी-2...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग व्यावसायिक है इसलिए वाणिज्यिक से आवासीय से भू-उपयोग परिवर्तन किया जावे।
- 2- खातेदार द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र में दुकानों के साथ पार्किंग क्षेत्र नहीं दर्शाया है इसलिए पार्किंग क्षेत्र दर्शाते हुए संशोधित योजना मानचित्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 23.3.02..... का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : निजी खातेदार श्री गोविन्दा, श्री कालू, मूल्या, छोटू, छीतर नारायण
2. योजना का नाम : द्वास्तापुरी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : उ० न० 376, 377, 400 ग्राम वक गेटोर
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेवल(जोन संख्या...सी.-2...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

उपायुक्त जोन द्वारा समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया समिति ने योजना मानचित्र का अवलोकन किया तथा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि खातेदार ने योजना में जो दुकाने प्रस्तावित की है उन दुकानों के सामने पार्किंग क्षेत्र दर्शाते हुए संशोधित योजना मानचित्र प्रस्तुत करने के पश्चात् आगामी बैठक में रखा जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक... 23.3.02... का
कार्यवाही विवरण।

- | | | | |
|----|--------------------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम | : | दी फोरेस्ट व्यू गृ0नि0स0स0 |
| 2. | योजना का नाम | : | बाल नगर"इ" |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं0 | : | ख.न.525,529,530 ग्राम छोनागोरियान |
| 4. | सैक्टर नंबर | : | |

जोनल लेबल(जोन संख्या.....९-२...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार गौनेर रोड़ की चौड़ाई 200-0" है तथा 50-0" का प्लान्टेशन कोरिडोर है जबकि मौके पर सड़क की चौड़ाई 80' है इसलिए सड़क के केन्द्र बिन्दु से 100-0" तथा इसके पश्चात् प्लान्टेशन कोरिडोर 50' में आने वाली दुकान सं. 1 से 29 व आवासीय भू.सं. 1 से 3,45,46,47,48,49,53, 54,55,56,57,58 को अस्वीकृत किया जावे ।
- 2- योजना में 30-0" से कम चौड़ी सड़को को 30-0" किया जावे ।
- 3- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल है इसलिए इकोलोजिकल से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन किया जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक. 23.3.02... का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : हथरोई गढी गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : जगदीश कालोनी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : ख.न.1138 से 1148 ग्रामखोनागोरियान
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....९-२...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- 30' से कम चौड़ी सड़कों को 30-0" किया जावे।
- 2- हाईटेशन लाईन के नीचे के भूखण्ड सं. 58 से 62, 48, 49, 7 से 16 को निरस्त किया जावे।
- 3- गोनेर रोड़ के केन्द्र बिन्दु से 40' की दूरी पर योजना की सीमा है जबकि मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस सड़क की चौड़ाई 200-0" है तथा 50-0" प्लान्टेशन को रोड़ी है इसलिए सड़क के केन्द्र बिन्दु से 150-0" की दूरी में आने वाली दुकान सं. 1 से 26 व भू.सं. 1 से 6 एवं 1ए को अस्वीकृत किया जावे।
- 4- भूखण्ड 39 व 38 का आशिक भाग सड़क सीमा में आता है इस भाग को अस्वीकृत किया जावे।
- 5- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग इकोलोजिकल क्षेत्र है इसलिए इकोलोजिकल से आवासीय में भू-उपयोग परिवर्तन किया जावे।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 23.3.02..... का

कार्यवाही विवरण।

विषय:- शकुन्तला देवी, श्री दीप प्रकाश अग्रवाल बीनू, शालू देवी, विनोद अग्रवाल ओमे प्रकाश की दुकानों के योजना मानचित्र अनुमोदन के सम्बन्ध में

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम :
2. योजना का नाम :
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या.....C-2.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

वरिष्ठ नगर नियोजक § प्रोजेक्ट § ने समिति के सदस्यों के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत किया गया चूंकि दुकानों के पीछे भूमि खाली है इसलिए विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि पीछे की भूमि को मिलाते हुए योजना प्रस्तुत करने हुए जोन द्वारा लिखा जावे। संशोधित योजना मानचित्र प्रस्तुत करने पर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जावे।



बीपीसी(ले आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक..23.3.02...का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : हथरोई गढ़ी गृ0नि0स0स0
2. योजना का नाम : पंचवटी व पंचवटी विस्तार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं0 : ख.न.651,652,655,658,670/2,641/2,
4. सैक्टर नंबर : 650,641/1,657,649,662,660,653,656,
654,659,642,661 ग्राम बगराना
जोनल लेवल(जोन संख्या...C-2...) कमटी की बैठक

दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

पंचवटी योजना:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण है इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय योजना में भू-परिवर्तन की कार्यवाही की जावे।
- 2- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार आगरा रोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई 300-0" है तथा 100-0" चौड़ा प्लान्टेशन कोरीडोर है। जबकि मौके पर योजना सड़क के केन्द्र बिन्दु से 110-0" की दूरी पर है इसलिए सड़क के केन्द्र बिन्दु 250-0" की दूरी ^{आवासीय} _{दुकान सं.} 1 से 47, 1ए, 1बी व आवासीय भूखण्ड संख्या 1 से 3, 64 से 69, 124 से 126 175 को अस्वीकृत किया जावे तथा भू.सं. 70, 127, 174, का को आंशिक अस्वीकृत किया जावे।
- 3- भूखण्ड संख्या 1 से 86 व 34 से 67 के मध्य की सड़क की चौड़ाई 30-0" से 40' की जावे।
- 4- योजना के भूखण्ड संख्या 176 से 181 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।

- 5- सैट बैक छोड़ने के पश्चात् जिन भूखण्डों में पर्याप्त आच्छादित क्षेत्र नहीं मिलता है इसलिए भूखण्ड संख्या 91ए, 91बी, 16ए, 79, 104 को अस्वीकृत किया जावे।

पंचवटी विस्तार-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र है इसलिए ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जावे।
- 2- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार आगरा रोड़ की चौड़ाई 300-0" है तथा प्लान्टेशन कोरीडोर 100-0" चौड़ा है जबकि मौके पर सड़क के केन्द्र बिन्दु से 75-0" पर योजना है। इसलिए सड़क के केन्द्र बिन्दु से 250-0" की दूरी में आने वाली दुकान सं. 1 से 15 व आवासीय भूखण्ड 1, 2, 2ए, 48, 49 को अस्वीकृत किया जावे। तथा भूखण्ड संख्या 47 को आंशिक अस्वीकृत किया जावे।
- 3- भूखण्ड संख्या 20 से 22 व भूखण्ड 22 से 48 के मध्य की सड़क की चौड़ाई 30-0" से 40-0" की जावे।
- 4- योजना के भूखण्ड संख्या 8 को निरस्त कर साथ लगती हुई योजना बी.आर.नगर के भूखण्ड संख्या 8 व 9 के मध्य से सड़क सम्पर्क किया जावे।
- 5- सैट बैक छोड़ने के पश्चात् भूखण्ड संख्या 22 को पर्याप्त आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है इसलिए इस भूखण्ड को अस्वीकृत किया जावे।
- 6- योजना के भूखण्ड संख्या 6, 7, व 7ए को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।



कार्यवाही विवरण

बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 23.3.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन ए-2 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये:-

1. मित्र गृ.नि.स.स. की योजना रघुराथपुरी के अनुमोदन के संबंध में।
2. मित्र गृ.नि.स.स. की योजना शिव कालोनी के अनुमोदन के संबंध में।
3. मित्र गृ.नि.स.स. की योजना यादव नगर के अनुमोदन के संबंध में।
4. म्युचुअल गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नम्बर 2, (कृष्णा नगर) के अनुमोदन के संबंध में।

विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

1. जोन द्वारा योजना का तकनीकी परिक्षण ठीक प्रकार से नहीं किया गया जिसे समिति ने गंभीरता से लिया।
2. जोन ए-2 द्वारा जो प्रपत्र एवं जोनल लेवल कमेटी के निर्णय आदी भरे जाते हैं उनमें सभी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं एवं अपूर्ण होते हैं, जिनमें सूचनाओं का अभाव होता है। अतः निर्णय लिया गया कि संबंधित उपायुक्त भविष्य में उपरोक्त की पूर्ति कर पत्रावली प्रेषित करेंगे।

1. मित्र गृ.नि.स.स. की योजना रघुराथपुरी के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या ए-2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर योजना बाबत निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

1. योजना से गुजर रही विद्याधर नगर की सेक्टर रोड के संबंध में योजना का zone का परिक्षण कर पुनः प्रस्तुत की जावें।
2. योजना का स्थल निरिक्षण माननीय सदस्यों को कराया जावें।

2. मित्र गृ.नि.स.स. की योजना शिव कालोनी के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या ए-2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर योजना बाबत निम्नांकित निर्णय लिये गये :-


1. अमानीशाह नाले के संबंध में जविप्रा द्वारा हाल ही कराये गये सर्वे एवं सर्वे रिपोर्ट जो कि शीघ्र ही तैयार हो जायेगी के संदर्भ में प्रकरण का जोन द्वारा पुनः परीक्षण कर प्रस्तुत किया जावे।
2. योजना का स्थल निरीक्षण माननीय सदस्यों को कराया जावे।

3. मित्र गृ.नि.स.स. की योजना यादव नगर के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या ए-2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर योजना बाबत निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

1. योजना का स्थल निरीक्षण माननीय सदस्यों को कराया जावे।

4. म्युचुअल गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नम्बर 2 (कृष्णा नगर) के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या ए-2) कमेटी की बैठक दिनांक 25.2.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर योजना बाबत निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

1. योजना का स्थल निरीक्षण माननीय सदस्यों को कराया जावे।


 बीपीसी (ले आउट प्लान) की दिनांक 23.3.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन डी-2 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये:-

1. भैरव गृ.नि.स.स. की योजना जय करणी नगर निवारू खसरा नम्बर 435, 436, 437 के अनुमोदन के संबंध में।

विचार विमर्श पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :-

भैरव गृ.नि.स.स. की योजना जय करणी नगर निवारू खसरा नम्बर 435, 436, 437 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक दिनांक 21. 3.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतू पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को निम्नांकित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया :-

1. दुकान संख्या 1 से 51 निवारू रोड के मार्गाधिकार में आने के कारण इनका नियमन नहीं किया जावे।
2. योजना में भूखण्ड संख्या 11, 12, 96 ए, 97 से 103 के पूर्व की ओर प्रस्तावित 30' सडक को 60' किया जावे।
3. मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार 200' प्रस्तावित सडक में योजना के भूखण्ड संख्या 105, 106, 107, 122 से 127 प्रभावित होने के कारण एवं योजना सीमा से बाहर स्थित होने के कारण इनका नियमन नहीं किया जावे।
4. भूखण्ड संख्या 20 से 27 पूर्ण रूप से योजना सीमा से बाहर स्थित होने के कारण इनका नियमन नहीं किया जावे। भूखण्ड संख्या 4, 5, 19 एवं 55, 56 का आंशिक भाग योजना सीमा से बाहर स्थित होने के कारण इनके आंशिक भाग को काटकर नियमन किया जावे।
5. भूखण्ड संख्या 98, 115, 116, 117 व 130 के उपर से L.T. Line गुजर रही है अतः L.T. Line के शिफ्ट करने के पश्चात ही इन भूखण्डों का नियमन किया जावे।
6. योजना में भूखण्ड संख्या 128, 128 ए, 120, 121, 111, 112, 103 व उसके दक्षिण में प्रस्तावित भूखण्डों (103 के दक्षिण में) जिसका कोई नम्बर नहीं लिखा गया है, को 200' सडक की ओर खुलते हुए ^{Plan/section Corridor 50.0' के प्रस्ताव} Revise Plan पेश करने पर इन भूखण्डों का नियमन किया जावे।
7. समिति द्वारा दी गयी लिस्ट के अनुसार भूखण्ड जो आवंटित नहीं किये गये हैं जैसे कि भूखण्ड संख्या 54, 93, 94 एवं भूखण्ड संख्या 101 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।


वरिष्ठ नगर नियोजक
मास्टर प्लान, जविप्रा।